न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

(98)

निग. 14005-II-15

1— लल्लू राम तनय नर्बदा प्रसाद उम्र 70 वर्ष

2— बृजेन्द्र कुमार पिता लल्लू राम विश्वकर्मा उम्र 40 वर्ष

सभी निवासी सेमरिया थाना तह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

...................निगरानीकर्तागण

बनाम्

शासन म.प्र.

....................गैरनिगरानीकर्ता

यह निगरानी कलेक्टर रीवा जिला रीवा म.प्र. के प्र.क. 1/अ–68/पुर्न/15–16 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

श्री राकेश अग्निहोत्री एडवोकेट द्वारा आज दि. 16-12-15 को प्रस्तुत
16-12-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राकेश अग्निहोत्री
550
16/12/15

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नानुसार हैं –

1— यह कि निगरानी के आधार वर्णित करने के पूर्व प्रकरण को समझने के लिए संक्षिप्त तथ्य दिये जा रहे हैं। जो इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता क्र. 1 ने तहसीलदार सेमरिया के समक्ष रा.प्र.क. 37/अ–68/2012–2013 प्रस्तुत किया था जिसमें व्यक्त किया गया था ग्राम कोटरा प.ह.सेमरिया तह. सेमरिया की आराजी ख.क्र. 354/1 रकबा 2.29 ए. जो नगर पंचायत सेमरिया के अंतर्गत है आबादी की भूमि है। उक्त भूमि के अंश भाग $0.04^{1/2}$ ए. पर निगरानीकर्ता का पैत्रक मकान बना है जिस पर निगरानीकर्ता व उसमें पूर्वाधिकारी का म.प्र.भू.रा.सं. प्रभावशील होने के पूर्व से कब्जा दखल चला आ रहा है। ~~ग्राम~~ नगर पंचायत सेमरिया द्वारा भवन निर्माण हेतु इजाजतनामा क्र. 555 दिनांक 24.09.1996 दियाथा। अतः उसके नाम भूमिस्वामी नामांतरण किया जाय। उक्त आवेदन को तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2012 को निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी सेमरिया के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4005-दो/2015 जिला रीवा लल्लू विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 01/अ-68/पुन./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07-11-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 05/3/2019 सदस्य	